

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/आकाशि/Online/रिफ्रेशर /2022/ 318

दिनांक: 21 जनवरी, 2022

प्राचार्य,
संबंधित राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:- ऑनलाईन रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने की अनुमति बाबत
संदर्भ:- विभाग के पत्रांक एफ 7 (4) यु.जी.सी/अकाद/आकाशि/2020/1265 दिनांक 02.11.2020


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऑनलाईन रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने हेतु निम्नलिखित सह/सहायक आचार्यों को अनुमति जारी की जाती है-

क्र.स.	नाम सह/सहायक आचार्य/श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ	विषय	महाविद्यालय का नाम	कोर्स जिसमें भाग लेना चाहते हैं।	कोर्स की अवधि	संस्थान जहाँ से कोर्स किया जाना है।
1.	परितोष कडेला	इतिहास	कैलाश त्रिवेदी राज. कन्या महा गंगापुर (भीलवाड़ा)	रिफ्रेशर	22.01.2022 से 05.02.2022 तक	रामानुजन कॉलेज दिल्ली नई
2	राम नरेश मीना	प्राणीशास्त्र	राज. पी.जी.महा राजगढ़ (अलवर)	रिफ्रेशर	22.01.2022 से 05.02.2022 तक	रामानुजन कॉलेज दिल्ली नई
3	भोली मीना	अर्थशास्त्र	राज. पी.जी.महा हिण्डौन सिटी	रिफ्रेशर	22.01.2022 से 05.02.2022 तक	रामानुजन कॉलेज दिल्ली नई
4	सुशील रणवॉ	विधि	राज.विधि.महा. श्रीगंगानगर	रिफ्रेशर	27.01.2022 से 10.02.2022 तक	रामानुजन कॉलेज दिल्ली नई
5	विकास यादव	राज.विज्ञान	राज.पी.जी.महा. कोटपूवली	रिफ्रेशर	27.01.2022 से 10.02.2022 तक	रामानुजन कॉलेज दिल्ली नई
6	अभिलाषा कुमारी	इतिहास	राज.कन्या महा.सीकर	रिफ्रेशर	27.01.2022 से 10.02.2022 तक	रामानुजन कॉलेज दिल्ली नई
7	सुमन खींची	रसायन शास्त्र	राज.पी.जी.महा. झालावाड़	रिफ्रेशर	27.01.2022 से 10.02.2022 तक	जे.एन.यू जोधपुर
8	रेणु मीणा	प्राणीशास्त्र	राज.पी.जी.महा. झालावाड़	रिफ्रेशर	27.01.2022 से 10.02.2022 तक	जे.एन.यू जोधपुर
9	चन्द्रकला शर्मा	राज.विज्ञान	राज.कन्या महा.सीकर	रिफ्रेशर	27.01.2022 से 10.02.2022 तक	रामानुजन कॉलेज दिल्ली नई
10	सीमा वर्मा	रसायन शास्त्र	राजर्षि महाविद्यालय, अलवर	रिफ्रेशर	22.01.2022 से 05.02.2022 तक	रामानुजन कॉलेज दिल्ली नई

उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए सह/सहायक आचार्यों को अनुमति देने से पूर्व प्राचार्य निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें :-

1. प्राचार्य केवल उन सह/सहायक आचार्यों को कार्यमुक्त करें जिन्हें सी.ए.एस. के तहत कोर्स करना आवश्यक हो।
2. संबंधित सह/सहायक आचार्यों ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे-बैंड IV के लिये आवश्यक कोर्स कर रखे हैं तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है। जो सह/सहायक आचार्य तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये सह/सहायक आचार्य द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर संबंधित सह/सहायक आचार्य के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उस तिथि के पश्चात एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
3. बेवसाईट प्रभारी को अपलोड करने हेतु।


(डॉ सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)